न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट/पदेन सहायक कलक्टर सीमलवाडा, डूंगरपुर

प्रार्थी

श्री दला पिता कमजी

विपक्षी

श्री मरता पिता कुबेर

किस्म मुकदमा सह पठित धारा 212 जा.दी.

पत्रावली संख्याः 42/2018 (2018/00061)

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 26.11.2019 पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष वकील उपस्थित। प्रकरण के मूल वाद में वकील प्रतिवादीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत करना नहीं चाहा है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र के संबंध में पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में प्रार्थी खातेदार कृषक है। विपक्षीगण प्रार्थी को काश्त करने में व्यवधान पैदा करने से उन्हें पाबंद हेतु राहत चाही गई है बहस वकील एकपक्षीय सुनी गई। प्रार्थनापत्र में ता फैसला मूलवाद के रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखना उचित समझता हुँ। अतः ग्राम घुवेड की जमाबंदी संवत 2070–2073 के खाता संख्या 53 के खसरा न. 1441/1432 रकबा 12.00 बीघा में रिकॉर्ड की यथा स्थिति बनाई रखे जाने का आदेश किया जाता है। पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम होकर संलग्न मूल वाद रहे। निर्णय खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया। (दौलतराम चौधरी RAS) उपखण्ड मजिस्ट्रेट सीमलवाडा	

Signature Not Verified
Digitally signed by Daulat Ram Choudhary
Date: 2019.11.29 16:19:53 IST
Reason: SelfAttested